



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0एफ.4(3)निर्देश/विधि/पंरा/2020/3955

दिनांक : 13/08/2020

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद्, समस्त(राजस्थान)।

विषय :- आबादी भूमि विक्रय/आवंटन का राज्य सरकार से
अनुमोदन करवाये जाने बाबत।

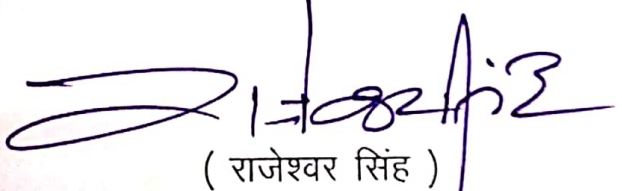
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन हेतु प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय 9 में नियम 140-166 के द्वारा निर्धारित की हुई है। इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार कतिपय प्रकरणों में राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ऐसे प्रकरणों से सम्बन्धित जो प्रस्ताव/पत्रावलियां विभाग को प्रेषित की जाती हैं, उनमें कई प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं होते तथा प्रक्रियागत कमियां भी पाई जाती हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त विषयक प्रकरण विभाग को भिजवाये जाने से पूर्व आपके स्तर से निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

1. आबादी भूमि के विक्रय एवं आवंटन सम्बन्धित समस्त प्रकरण ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों द्वारा सम्बन्धित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् के माध्यम से ही राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ इस विभाग को प्रेषित किये जायें। ग्राम पंचायत/पंचायत समितियों द्वारा ऐसे प्रकरण सीधे ही विभाग को प्रेषित किये जाने पर, विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
2. अक्सर यह देखा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण द्वारा भी भूमि विक्रय/आवंटन से सम्बन्धित जो प्रकरण विभाग को प्रेषित किये जाते हैं उनका स्वयं के स्तर पर बिना परीक्षण किये विभाग को मात्र अग्रेषित कर दिशे

जाते हैं, जबकि उनमें से कई प्रकरण नियमों के प्रावधानों के विपरीत होते हैं, जिन्हें ज़िला परिषद के स्तर से ही खारिज किया जाकर सम्बन्धित ग्राम पंचायत को लौटाया जाना वांछनीय होता है। अतः आपके स्तर पर भूमि विक्रय/आवंटन से सम्बन्धित ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने से पूर्व उनका नियमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण परीक्षण कर अपनी औचित्यपूर्ण अभिशंषा के साथ ही प्रकरण विभाग को भिजवाये जायें।

3. जिन प्रकरणों में राज्य सरकार से अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, ऐसे प्रकरण विभाग को प्रेषित नहीं किये जायें।
4. विभागीय अधिसूचना दिनांक 06.4.2017 के द्वारा नियम-162(2) के तहत सरकारी कार्यालय के भवन हेतु आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित किये जाने हेतु निर्धारित सीमा के अनुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद को अधिकृत किया जा चुका है, अतः ऐसे प्रकरण विभाग को प्रेषित नहीं किये जायें।


(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव